



पूरा नाम													
<b>जमाकर्ता द्वारा पहचान साक्ष्य दिया जाए (कृपया निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)</b> - पासपोर्ट – फोटो पैन कार्ड – ड्राइविंग लाइसेंस-वोटर पहचान कार्ड- फोटो युक्त राशन कार्ड - फोटोग्राफ सहित कोई अन्य पहचान साक्ष्य (रा.आ.बैंक की संतुष्टि अनुसार)													
<b>जमाकर्ता द्वारा पता साक्ष्य दिया जाए (निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)</b> -नवीनतम टेलीफोन बिल - नवीनतम बिजली बिल - नवीनतम बैंक खाता विवरणी - नवीनतम डीमैट खाता विवरणी - राशन कार्ड - पंजीकृत किराया करार - कोई अन्य साक्ष्य (रा.आ.बैंक की संतुष्टि अनुसार)													
<b>यदि प्रथम/एकल आवेदन अवयस्क हो, तो स्वाभाविक/विधिक अभिभावक का नाम व पता</b> अभिभावक का नाम.....अवयस्क से रिश्ता..... अभिभावक का पता (यदि उक्त से भिन्न हो) .....शहर..... राज्य.....पिन.....													
<b>नामांकन (जमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)</b> मैं/हम निम्नलिखित व्यक्तियों को अपना/हमारे नामांकित के रूप में नामांकित करता हूँ/हैं और मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में यहां उल्लिखित नामांकित को जमा की राशि का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/हैं													
नामिती का नाम व पता	जमाकर्ता(ओं) से रिश्ता, यदि हो	नामिती की आयु	नामिती की जन्म तिथि (यदि नाबालिग हो)										
# चूंकि नामिती इस तारीख पर नाबालिग है, मैं/हम अपनी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु होने पर नामिती नाबालिग होने पर नामिती की और से जमा में देय राशि प्राप्त करने के लिए .....(नाम, पता एवं आयु) को नियुक्त करता हूँ/करते हैं। # नामिती नाबालिग होने पर लागू होगा। जब जमा नाबालिग के नाम किया जाए तो नामांकन पर नाबालिग की और से विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं।													
<b>केवल नामांकन के लिए गवाह(हों)का/के नाम व पता/पते</b>		<b>नामांकन के लिए जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर</b>											
नाम एवं पता	हस्ताक्षर												
1. ....	.....	1. प्रथम/एकल -----											
.....	.....	2. द्वितीय -----											
2. ....	.....	2. तृतीय -----											
<b>कर की कटौती की जाए:</b> -हां – नहीं (यदि नहीं, कृपया छूट प्रमाण-पत्र संलग्न करें) <b>फार्म संलग्न है:-</b> 15एच-15जी टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए विकल्प													
<b>पैन ब्योरा</b>													
जमाकर्ता(ओं) का पैन नम्बर	एकल/प्रथम/हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता/अवयस्क के मामले में अभिभावक	द्वितीय	तृतीय										
पैन नं. (पैन कार्ड / आबंटन पत्र की प्रति संलग्न करें)													
फार्म सं. 60													
फार्म सं. 61													
<b>ब्याज तथा मूल राशि के भुगतान हेतु बैंक का विवरण (केवल प्रथम जमाकर्ता का):</b> बैंक का नाम ..... शाखा..... आईएफएससी कोड ..... खाता प्रकृति : बचत/चालू खाता सं..... <b>इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस(ईसीएस) का विकल्प स्वीकार करने वाले जमाकर्ताओं के लिए -मैं ईसीएस सुविधा पाना चाहूंगा। (यदि हां, तो कृपया निरस्त चेक/चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)</b> मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया ब्योरा सही और पूरा है। यदि ईसीएस से विप्रेषण सूचना अधूरी / गलत होने के कारण विलंब होता/विप्रेषण नहीं होता है, या यह सुविधा उस शाखा/सेंटर में उपलब्ध नहीं हो, मैं उसके लिए रा.आ.बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा। मैंने नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस में भागीदार के रूप में मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए सहमत हूँ।													

मैंने/हमने रा.आ.बैंक सावधि जमा योजना के नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ ली हैं जो मुझे/हमें स्वीकार्य हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि जमा आवेदन पत्र द्वारा जमा की गई राशि विधिसम्मत स्रोत से प्राप्त है और जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपराध श्रेणी में नहीं आता है और/या जो किसी भी कानून के उल्लंघन या अपवंचन के लिए नहीं किया गया है।

जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर	एकल/प्रथम/हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता/नाबालिग के मामले में अभिभावक	द्वितीय	तृतीय
हस्ताक्षर			

दिनांक ----- स्थान -----

**केवल समाहरणकर्ता बैंकों के लिए**

सावधि जमा आवेदन पत्र सं. ....	समाहरणकर्ता बैंक/शाखा की मुहर एवं हस्ताक्षर
आवेदन पत्र की तारीख .....	.....
चेक नकदीकरण की तारीख .....	

**केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ**

सावधि जमा रसीद सं. ....	टीडीआर की तारीख .....
जमाकर्ता की श्रेणी .....	जमा अवधि .....माह
ब्याज दर .....	परिपक्वता की तारीख .....
संचयी/गैर संचयी .....	परिचालन अधिदेश .....
व्यवस्थापक का नाम .....	वरिष्ठ नागरिक – हां/नहीं
	व्यवस्थापक कोड .....

जांचकर्ता ..... प्राधिकृतकर्ता .....

सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय आवास बैंक के नियम एवं शर्तें :

1. जमा राशि न्यूनतम 10,000/- रु और फिर 10,000/- रु के गुणकों में अधिकतम 1,00,00 प्रति वित्त वर्ष स्वीकार की जाएगी।
2. आवेदनपत्र के साथ 'रा.आ.बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा' के नाम प्राप्तकर्ता केन्द्र पर देय चेक/डीडी/पेआर्डर संलग्न होना चाहिए।
3. जमा राशियां व्यवस्थापकों/प्राप्तकर्ता बैंक के माध्यम से स्वीकार की जाती हैं जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की रसीद देंगे। जमा रसीद रा.आ.बैंक द्वारा जारी की जाएगी।
4. जमा राशि 60 माह की अवधि के लिए स्वीकार की जाएगी।
5. ब्याज तिमाही संगणित होगा।
6. ब्याज का भुगतान छमाही या परिपक्वता पर किया जाएगा।
7. यदि ब्याज छमाही देय होगा तो उसका भुगतान प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाएगा।
8. परिपक्वता से पूर्व आहरण योजना के अनुसार किया जा सकेगा।
9. रा.आ.बैंक द्वारा जमा के आधार पर ऋण बढ़ाया नहीं दिया जाएगा।
10. जमा कर नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
11. कोई भी विवाद या दावा केवल नई दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।
12. कृपया आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें –
  - ❖ फोटोग्राफ
  - ❖ पहचान का प्रमाण (यथा उल्लिखित)
  - ❖ निवास स्थान का प्रमाण (यथा उल्लिखित)
  - ❖ पैन कार्ड की प्रतिलिपि या फार्म 60/61, जो भी लागू हो
  - ❖ फार्म 15एच/15जी, यदि लागू हो

**पावती**

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....से रा.आ.बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा के लिए.....%ब्याज दर पर..... माह के लिए संचयी/गैर संचयी विकल्प के तहत.....बैंक.....शाखा से आहरित.....रुपये का चेक\*/ड्राफ्ट/पेआर्डर सं. ....दिनांक.....प्राप्त किया। (\*चेक भुनने की शर्त पर वैध)

**कृते राष्ट्रीय आवास बैंक**

दिनांक : .....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

समाहरणकर्ता बैंक : आईडीबीआई बैंक लि.

**नोडल शाखा**

सीएसएस विभाग, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी भवन,  
1 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली – 110001  
फैक्स नं. 22752730, फोन नं. 23461785

**समाहरणकर्ता केन्द्रों की सूची :**

अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, ऐजल, अजमेर, अकलुज अकोला, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, अंकलेश्वर, औरंगाबाद, बहरामपुर, बैंगलूरू, बांसबाड़ा, बारामती, बरेली, बडौदा, बारशी, बेलगांव, बरहामपुर, भाद्रा, भावनगर, भिलाई, भीलवाड़ा, भोपाल, भुवनेश्वर, भुसावल, बिजनौर, बीकानेर, बिलासपुर, बोकारो, बुलंदशहर, वर्दवान, बुरहानपुर, कालीकट, चालीसागांव, चंडीगढ़, चंद्रपुर, चेन्नै, चिपलुन, चित्तौड़गढ़, कोयम्बतूर, कुडलूर, कुडप्पाह, कटक, देहरादून, दिल्ली-आरपीयू/गुडगांव, देवास, धनबाद, धुले, दीमापुर, दुर्ग, दुर्गापुर, हरोड, फरीदाबाद, गंगटोक, गाजियाबाद, गोंडिया, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हल्दिया, हजारीबाद, हिम्मतनगर, हिंगोली, होसूर, हुबली, हैदराबाद, इछालकारनजी, इंदौर, इस्लामपुर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जलगांव, जालना, जम्मू, जामनेर, जमशेदपुर, झांस, जोधपुर, जालंधर, जूनागढ़, काकीनाडा, कानपुर, कराड, करायकुडी, काशीपुर, कटनी, खामगांव, खंडवा, खड़गपुर, खेड, किशनगढ़, कोची, कोल्हापुर, कोलकाता-पार्क स्ट्रीट, कोरबा, कोट्टायम, करनूल, लाटूर, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मलापुरम, मालेगांव, मलकापुर, मंडी, गोबिन्दगढ़, मंगलौर, मथुरा, मेरठ, म्हाओ, मिराज, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नानडेढ, नानदरबार, नरीमन प्वाइंट, नासिक, नवसारी, निपानी, चचोरा, पंढरपुर, पानीपत, पंणजिम, पारादीप, परभाणी, पटियाला, पटना, फगवाड़ा, फलतन, पीथमपुर, पुणे, रायबरेली, रायपुर, राजामुंधरी, राजकोट, राजनंदगांव, राजसमंड, रांची, रतलाम, रत्नागिरी, रेनुकूट, रूडकी, राउकेला, रूद्रपुर, सहारनपुर, सलेम, संगमनेर, सांगली, सतारा, सेंधवा, शिलंग, शिमला, शोलापुर, श्रीरामपुर, सिकन्दरपुर, सिलीगुडी, सिलवासा, सिन्नार, सिरसा, सिवंगंगा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तसगांव, तिरुवल्ला, तिरुवाअनंतपुरम, त्रिसूर, तिरूपुर, त्रिची, उदयपुर, उदगिरी, उज्जैन, वल्लभ, विद्यानगर, वापी, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वीटा वाई वाणी, वारंगल, वर्धा, यवतमाल

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**रा.आ.बैंक सुनिधि सावधि जमा योजना के पंजीयक :-**

आरसीएमसी शेयर रजिस्टरी प्रा. लि.,  
बी-25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,  
फेज - 2, नई दिल्ली -110 020 फैक्स सं. 0120-2444345  
ईमेल आईडी <http://www.rcmcdelhi.com> फोन: 011-26387320, 26387321, 26387323  
फैक्स: 011 -26387323

टिप्पणी : यदि आपको जमा रसीद आवेदन जमा करने की तारीख से 21 दिनों में प्राप्त न हो तो कृपया हमारे पंजीयक से निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें: आरसीएमसी शेयर रजिस्टरी प्रा. लि.,  
यूनिट : राष्ट्रीय आवास बैंक, बी-25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज - 2, नई दिल्ली -110 020  
ईमेल आईडी : [nhbfd@rcmcdelhi.com](mailto:nhbfd@rcmcdelhi.com)

सम्पर्क व्यक्ति – श्री रविन्द्र दुआ, श्री राजेश अधाना  
सम्पर्क नं. 011-26387320, 26387321, 26387323

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

टिप्पणी : संयुक्त खाते के मामले में प्रत्येक खाता धारक से पृथक से प्राप्त की जाएगी

(घोषणा)

फार्म सं. 60

(नियम 114बी का द्वितीय परन्तुक देखें)

उस व्यक्ति द्वारा घोषणा फार्म भरा जाए जिसके पास पैन नम्बर नहीं है और जो नियम 114बी में उल्लिखित कोई लेनदेन करे

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता .....
2. लेनदेन का ब्योरा .....
3. लेनदेन की राशि .....
4. क्या कर के लिये आपका मूल्यांकन किया जाता है? हां/नहीं
5. यदि हां, (i ) वार्ड/सर्किल/रेंज का ब्योरा जहां पिछली आयकर विवरणी जमा की गई थी?  
(ii) पैन नम्बर नहीं होने का क्या कारण है?
6. कॉलम (1) में दिये पते के प्रमाण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का ब्योरा

सत्यापन

मैं, ..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ उल्लिखित किया गया है वह मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आज सत्यापित, दिन ..... मास .....20

दिनांक : .....

स्थान : .....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

फार्म सं. 61

उस व्यक्ति द्वारा घोषणा फार्म भरा जाए जिसकी आय का स्रोत कृषि है और नियम 114बी की धाराओं (ए) से (एच) में उल्लिखित लेनदेन के बारे में आयकर प्रभारित होने वाली कोई अन्य आय प्राप्त नहीं करता है।

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता .....
2. लेनदेन का ब्योरा :
3. कॉलम (1) में दिये पते के प्रमाण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का ब्योरा .....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी आय का स्रोत कृषि है और मुझे किसी अन्य आय, यदि हो, पर आयकर देय नहीं होता है।

दिनांक : .....

स्थान : .....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ उल्लिखित किया गया है वह मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आज सत्यापित, दिन ..... मास .....20

दिनांक : .....

स्थान : .....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर